राहुल गांधी ने छात्रों को झांसे देकर देश बर्बाद करने का काम किया- भजनलाल

मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने कोटा में ''लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ'' रैली में भाग लिया

कोटा, 30 अक्टूबर (निसं)। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में ''लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ'' पदयात्रा की शुरुआत कोटा के सैवन वंडर पार्क से की है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी शामिल हुए। पहले उन्होंने सभा को संबोधित किया जिसके बाद पैदल मार्च किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पर हमला करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के 4 महीने होटल में बिता दिए जाते हैं। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी देश में कम और विदेश में ज्यादा रहते हैं। वे कौन सी योजना को लेकर जाते हैं। सरकार के लोग तो योजना के लिए जाते हैं, लेकिन यह तो विदेश में सरकार को बदनाम करने के लिए जाते हैं और भारत को बदनाम कर देते हैं। कांग्रेस ने केवल देश की संस्था को बदनाम नहीं किया, बल्कि सेना को भी नहीं छोड़ा है। ये लोग सेना, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सीबीआई और ईडी पर सवाल उठाते हैं। कोटा में भी राहुल गांधी ने छात्रों को संवाद के नाम पर बुलाया, लेकिन झांसा देकर देश बर्बाद करने का काम किया है।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश में कम और विदेश में ज्यादा रहते हैं। वे विदेश में भारत को बदनाम करते हैं।**



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को भाजपा के लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान के तहत कोटा से पदयात्रा रैली शुरू की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनता का दिल जीता है, तब जाकर सत्ता में आएं हैं। हमारे बुजुर्गों ने साल 1975 की इमरजेंसी का दौर देखा है। इमरजेंसी की बात पूछने पर इन लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोगों का परिवार छिन गया, पढ़ाई छूट गई, शादी सगाई टूट गई, ऐसा दंश झेला है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और वहां से राशि लेकर आते हैं। देश में जब भी सदन चालू होता है, तब वे संसद में आने की जगह विदेश चलते जाते हैं।

कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा पंचायत राज्य मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, विधायक संदीप शर्मा और कल्पना देवी मौजूद थे।

अनंत सिंह को सरेंडर करने के आदेश

पटना, 30 अक्टूबर। दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश को स्थगित करते हुए, उन्हें एक दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

- **सुप्रीम कोर्ट ने दुलार चंद यादव हत्याकांड में मोकामा के विधायक अनंत सिंह के पटना हाई कोर्ट के जमानत आदेश को रद्द कर एक दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।**

अनंत सिंह ने बेटी की शादी का हवाला देकर तत्काल सरेंडर से राहत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या के मामले को केवल राजनीतिक विवाद के रूप में देखना गलत है। मामले की जांच अभी जारी है और मुकदमे के दौरान गवाहों का परीक्षण होगा। अदालत ने पुलिस को चार महीने में जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनंत सिंह को एक दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। जेडीयू से निष्कासन के बाद यह उनके लिए एक और बड़ा झटका है। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।

उत्तराखंड में हैलिकॉप्टर क्रैश, पायलट सहित 6 की मौत

हैलिकॉप्टर दोपहर 1.14 पर ब्रदीनाथ से सहस्रधारा के लिए रवाना हुआ था, उस समय भारी बर्फबारी हो रही थी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ-बद्रीनाथ मार्ग पर एक हेलिकॉप्टर लापता होने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें पायलट सहित छह लोग सवार थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हादसे की पुष्टि की।

बताया गया है कि हेलिकॉप्टर ने दोपहर करीब 1:14 बजे बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ से उड़ान भरी थी। हाथी पर्वत इलाके के पास उसका संपर्क टूट गया।

उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने एक बयान में कहा, ''ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का हेलिकॉप्टर, जिसका कॉल साइन वीटी-एचसीएक्स है, बद्रीनाथ से देहरादून के सहस्रधारा के लिए रवाना हुआ था। उसने लगभग एक बजकर 14 मिनट पर उड़ान भरी थी। जोशीमठ घाटी के ऊपर उड़ान के दौरान उससे संपर्क टूट गया।''

बयान के अनुसार, इसी दौरान ट्रैकिंग सिस्टम ने भी हेलिकॉप्टर की स्थिति बताना बंद कर दिया और उसकी करैंट लोकेशन का पता अभी तक नहीं चला है।

प्राधिकरण ने आगे कहा कि एहतियात के तौर पर, मैसर्स ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के पूरे हेलिकॉप्टर बेड़े को उड़ान भरने से रोक दिया गया है।

हादसे के बाद तलाशी और बचाव अभियान के लिए राज्य की बचाव टीमों के साथ सेना को भी तैनात किया गया है।

हेलिकॉप्टर में सवार सभी छह लोग पुरुष थे। उनकी पहचान प्रताप, अरुण, शंकर गौड़ा, सुधीर के., एच.एस. नटराज और पायलट कैप्टन हिमांशु के रूप में हुई है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ''जोशीमठ के पास छाई गांव के निकट हेलिकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की दुर्भाग्यपूर्ण खबर मिली है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ की ओर से संयुक्त बचाव अभियान चलाया जा रहा है।''

- **रास्ते में जोशी मठ के करीब हाथी पर्वत क्षेत्र में हैलिकॉप्टर का संपर्क टूट गया और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया।**

उन्होंने कहा, मैं स्वयं पूरे घटनाक्रम पर लगातार नज़र रख रहा हूं। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए तत्काल बड़े चिकित्सा केन्द्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। मैं ईश्वर से सभी यात्रियों की सकुशल वापसी की प्रार्थना करता हूं।''

राज्य के एक अधिकारी ने भी दुर्घटना की पुष्टि की। जोशीमठ के एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ ने कहा, ''हां, संभव है कि हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सेना, हमारी एसडीआरएफ टीम, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। मैं भी मौके के लिए रवाना हो चुका हूं।''

पिछले एक दशक में उत्तराखंड में हेलिकॉप्टर से जुड़ी कम से कम 12 अलग-अलग दुर्घटनाएं या घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें पांच बड़े हादसे शामिल हैं, जिनमें कई लोगों की जान गई, जबकि सात अन्य घटनाएं गैर-घातक रहीं। इनमें आपातकालीन लैंडिंग के दौरान चोट लगने, तकनीकी कारणों से जबरन लैंडिंग और जमीन पर हुई दुर्घटनाओं में मौत जैसी घटनाएं (माउन्ड सेफ्टी फैटलिटीज़) शामिल हैं।

पिछले साल जून में केदारनाथ मंदिर से गुप्तकाशी जा रहा एक हेलिकॉप्टर जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सात लोगों की मौत हुई थी।

इसरो ने एनवीएस-03 सैटेलाइट लॉन्च किया

श्रीहरिकोटा, 30 अक्टूबर। इसरो ने शुक्रवार को भारत के अगली पाढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट एनवीएस-03 को कामयाबी से लॉन्च कर दिया है। जीएसएलवी-एफ18 रॉकेट के जरिए इस सैटेलाइट को शुक्रवार रात 11 बजकर 51 मिनट पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की लॉन्च साइट से रवाना किया गया। लॉन्च किए गए 50 मीटर ऊंचे और 3 फेज वाले इस रॉकेट का लॉन्चिंग के वक्त कुल वजन 420 टन था। ये सैटेलाइट एनएवीआईसी मिशन के तहत लॉन्च हुई है। एनएवीआईसी का पूरा नाम नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन है। यह भारत का अपना क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जिसे इसरो ने विकसित किया है।

'भविष्य के लिए पैसा बचाना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हवाला देते हुए अपनी गैर-जरूरी खरीदारी का मजाकिया अंदाज में बचाव किया था। यूज़र का कहना था कि लोगों को अपने पैसों के मामले में पूरी तरह लापरवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर दुनिया अभूतपूर्व समृद्धि की ओर बढ़ रही है तो कई चीजों की खरीददारी उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाएंगी।

यह पोस्ट छोटी थी, लेकिन इसके पीछे का विचार काफी बड़ा है। मस्क बार-बार कह चुके हैं कि एआई और रोबोटिक्स में प्रगति से अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके में बुनियादी रूप से बदलाव आ सकता है। इससे खुद पैसे का महत्व भी कम हो सकता है। हालांकि, यह एक संभावित भविष्य को लेकर उनकी कल्पना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पारंपरिक वित्तीय योजना और बचत की जरूरत तत्काल खत्म होने वाली है।

मस्क इस साल की शुरुआत में ''एक्सप्राइज फाउंडेशन'' के कार्यकारी अध्यक्ष और उद्यमी पीटर डायमंडिस के साथ बातचीत में अपनी आर्थिक सोच पहले भी रख चुके हैं।

मस्क का तर्क है कि यदि मशीनें बेहद कम लागत पर वस्तुओं का निर्माण और सेवाएं उपलब्ध कराने लगें तो रोजगार, आय और उपभोग के बीच का पारंपरिक संबंध पूरी तरह बदल सकता है।

हालांकि, ऑटोमेशन के जरिए अधिक वस्तुओं का उत्पादन करने और ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने के बीच काफी अंतर है, जहां पैसे की जरूरत ही न रहे। संसाधनों, ऊर्जा, जमीन और तकनीक तक पहुंच का हिसाब रखना तब भी जरूरी होगा। मस्क की भविष्यवाणी में यह सवाल भी अनुत्तरित है कि इन मशीनों का मालिक कौन होगा और स्वचालित उत्पादन से मिलने वाले लाभ का बंटवारा किस तरह किया जाएगा।

मस्क भले ही ऐसे भविष्य की कल्पना करते हों, जिसमें रोजगार करना वैकल्पिक हो जाए, लेकिन उन्होंने यह भी माना है कि इस बदलाव के दौरान गंभीर आर्थिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।

इससे निपटने के लिए उनका एक प्रस्ताव ''यूनिवर्सल हाई इनकम'' है। इसके तहत, सरकारें सीधे नागरिकों को पैसा देंगी, ताकि एआई और रोबोटिक्स के कारण बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म होने के बावजूद लोग वस्तुओं और सेवाओं तक अपनी पहुंच बनाए रख सकें।

25 जनवरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बर्फबारी वाले क्षेत्रों- लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी जनगणना नहीं होगी।

सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, 10 से 24 जनवरी 2027 तक आप खुद पोर्टल पर डेटा भर सकते हैं। ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027 को रात 12 बजे होगी।

देशों के संबंध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकर चुनाव प्रचार करते हैं। यदि इज़रायल में नया नेतृत्व आता है, तो वह भारत के साथ व्यक्तिगत तालमेल के बजाय मुख्य रुप से संस्थागत माध्यमों (ऑफीशियल चैनल्स) से ही संबंध बनाए रखेगा।

तथापि, विश्लेषकों और इज़रायली राजनयिकों का मानना है कि दोनों देशों के संबंध मजबूत हैं और यदि नेतन्याहू बहुमत की सरकार बनाने में असफल रहते हैं या अंततः पद छोड़ देते हैं, तो भी इसमें कोई खास बाधा आने की संभावना नहीं है।

वहीं, भारत मध्य पूर्व के देशों के साथ अपने संबंधों में सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए हुए है। खाड़ी देशों के साथ भारत के ऊर्जा, व्यापार, वहां रहने वाले भारतीय समुदाय और निवेश से जुड़े गहरे संबंध हैं। हाल के वर्षों में खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों के साथ भारत का व्यापार 170 अरब डॉलर से अधिक हो गया है।

नई दिल्ली, ईरान के साथ भी उन क्षेत्रों में संबंध बनाए रखती है, जहाँ उसके हित मिलते हैं, और फिलिस्तीन के लिए अपने दीर्घकालिक राजनयिक समर्थन को बरकरार रखती है, साथ ही इज़रायल के साथ साझेदारी का विस्तार भी करती है। कई देशों के साथ एक साथ संबंध बनाए रखने की यह नीति भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों की सुरक्षा करने और क्षेत्र में अस्थिरता से निपटने में मदद करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने रिश्ते बिगड़ने पर अपराधिक मुकदमे दर्ज करने पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी वी नागरत्ना की बैंच ने कहा कि आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंधों को रिश्ता खत्म होने के बाद दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने रिश्तों में खटास आने के बाद आपराधिक मुकदमे दर्ज कराने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि जब दो वयस्कों के बीच किसी रिश्ते के दौरान आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बने हों तो सिर्फ रिश्ता खराब होने या खत्म हो जाने के कारण उन संबंधों को बाद में दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता।

जस्टिस बी.वी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केरल के एक व्यक्ति को दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोपों से बरी करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि शुरुआत से ही धोखे या छल से सहमति हासिल करना अलग बात है, लेकिन रिश्ता खत्म होने के बाद पुराने फैसलों पर केवल पछतावा होने को आपराधिक मामला बनाने का आधार नहीं बनाया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि हर टूटे रिश्ते को दुष्कर्म केस में बदलने से आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा धूमिल होती है। न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इस डर से रिश्ते में बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि अलग होने पर उसके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हो सकता है।

- **सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाकर केरल के एक व्यक्ति को दुष्कर्म व धोखाधड़ी के आरोप से बरी कर दिया।**

राफेल मरीन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ही प्रयास में पूरी तरह सटीक और सफल रही। इस लैंडिंग को भारतीय नौसेना में इन विमानों को शामिल करने से पहले, उन्हें नौसेना के विमानवाहक पोत ऑपरेशंस में एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, भारतीय नौसेना इस समय गोवा में राफेल मरीन के गहन फ्लाइट ट्रायल कर रही है।

- **भारतीय नौसेना गोवा में राफेल मरीन का फ्लाइट ट्रायल कर रही है।**

इन परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि आईएनएस विक्रांत के डेक और स्की-जंप सिस्टम से संचालन को पूरी तरह अनुकूल बनाने के लिए विमान में क्या तकनीकी समायोजन या बदलाव आवश्यक हैं। यह प्रक्रिया विमान और युद्धपोत के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।

'आर यू में पीएचडी भर्ती परीक्षा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

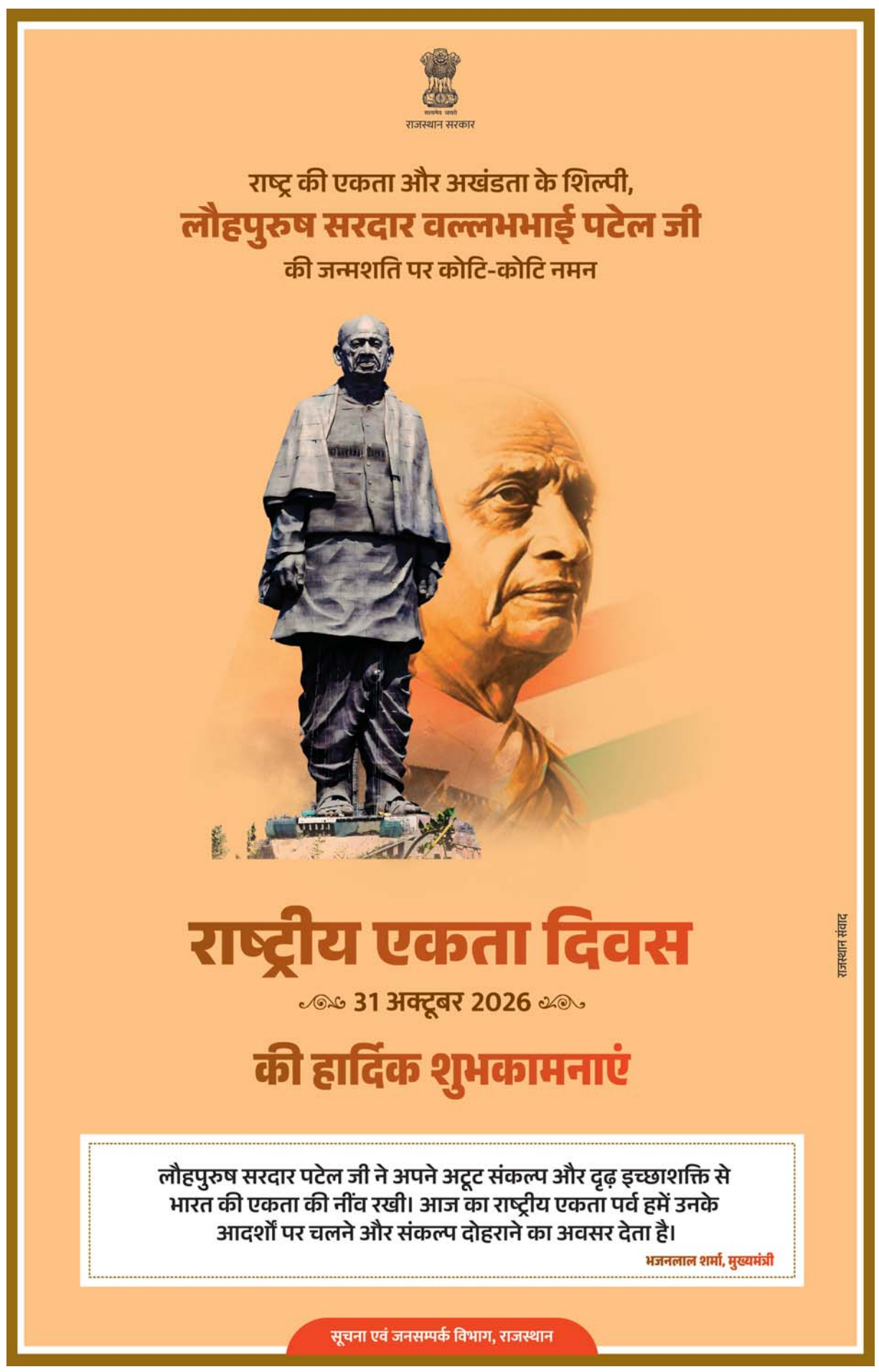
होने के लिए भाग लिया था। यहां उल्लेखनीय है कि यूजीसी ने वर्ष 2022 में ही पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने के लिए न्यूनतम मानक और भर्ती प्रक्रिया तय की। इन नियमों के अनुसार ''जूनियर रिसर्च फैलोशिप'' (जे.आर.एफ.) पद पर भर्ती होने के लिए नैट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए उपयुक्त अभ्यार्थियों का इंटरव्यू लेकर ही आंकलन किया जा सकता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता दर्श पारीक ने अदालत को बताया कि जिन अभ्यर्थियों की नैट परीक्षा में अच्छी ग्रेड होती है, वे नियमानुसार जे.आर.एफ. पद के साथ-साथ असिसटेंट प्रोफेसर और पी.एच.डी. प्रोग्राम में भाग लेने के लिए उपयुक्त होते हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि यू.जी.सी. के नियमानुसार नैट परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यार्थियो की दो और श्रेणी हैं, जिनमें एक श्रेणी असिस्टेंट प्रोफेसर और पी.एच.डी. प्रोग्राम में भाग लेने के लिए उपयुक्त है। यहां उल्लेखनीय है कि पहली व दूसरी श्रेणी के अलावा आखिरी व तीसरी श्रेणी के अभ्यर्थी केवल पी.एच.डी. प्रोग्राम में भाग लेने के लिए उपयुक्त होते हैं। यू.जी.सी. के नियमानुसार श्रेणी दो व तीन के अभ्यर्थियों के चयन के लिए नैट परीक्षा में पाए गये अंकों व इंटरव्यू में पाए गये अंकों को 70 से 30 के अनुपात में महत्व दिया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि ''पी.एच.डी.एडमिशन'' परीक्षा (रूपा) की नियमानुसार हर श्रेणी को मध्यनजर रखते हुए अलग-अलग मैरिट लिस्ट निकालनी चाहिए थी, परंतु राजस्थान सरकार की ओर से एक संयुक्त मैरिट लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें सभी अभ्यार्थियो को इंटरव्यू में दिए गए अंकों के अनुसार ही चयनित कर लिया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे मैरिट लिस्ट में जगह नहीं दी गई, जिस वजह से उसने गलत तरीके से जारी की गई मैरिट लिस्ट को चुनौती दी।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने राजस्थान यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र विभाग में जे.आर.एफ. के लिए चुने जाने तथा पी.एच.डी. प्रोग्राम से जुड़ने के लिए 28 जुलाई 2026 को आयोजित इंटरव्यू में भाग लिया था। परंतु जब उसने देखा कि नियमों का उल्लंघन करते हुए संयुक्त मैरिट लिस्ट जारी की गई है, तब उसने राजस्थान यूनिवर्सिटी के उपकुलपति को पत्र भी लिखा था, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इस मामले पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अभ्यर्थी ने नियम- कायदों को जानते हुए ही परीक्षा में भाग लिया था और परीक्षा में भाग लेने के बाद उत्तीर्ण न होने की वजह से वह मैरिट लिस्ट में बदलाव या भर्ती परीक्षा में प्रक्रिया में बदलाव की गुहार नहीं कर सकता। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने परीक्षा से संबंधित नियम- कायदों को चुनौती नहीं दी है- इसलिए उसका मामला अदालत में नहीं सुना जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग को यह दर्शाना था कि उसने मैरिट लिस्ट जारी करते समय यूजीसी द्वारा तय किए गए मापदण्डों व प्रक्रियाओं की पालना की थी या नहीं? अदालत ने पाया कि एक संयुक्त मैरिट लिस्ट जारी की गई है, जिसमें अभ्यार्थियो को केवल इंटरव्यू के आधार पर चयनित किया गया है, जो कि नियमकायदों के विरूद्ध है, इसलिए विभाग द्वारा जारी मैरिट लिस्ट रद्द की जाए और अभ्यर्थियों को मैरिट लिस्ट में आने का पुन: अवसर दिया जाए। अदालत के इस फैसले से कई और अभ्यर्थियों के लिए भी रास्ता खुल जाता है।



राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908